...या गया है। विप्रार्थी सं. 1 से 3, 5 से 12 को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये बावजूद जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण वकील ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना खेत खसरा नम्बर 108, 109, 110, 115, 113, रकबा क्रमशः 0–09, 0–07, 05–05, 34–17, 99–10 बीघा व मौजा पूरावा पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 47–00 बीघा में प्रार्थी बाबू वल्द चिमना के स्थान पर खीयाराम वल्द चिमनाराम व किरता वल्द चिमना के स्थान पर रामाराम वल्द चिमनाराम नाम दुरूस्त कर सही एवं वास्तविक नाम दर्ज किया जावें।

हमने प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत जमाबंन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना खेत खसरा नम्बर 108, 109, 110, 115, 113, रकबा क्रमशः 0–09, 0–07, 05–05, 34–17, 99–10 एवं मौजा पूरावा पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 47–00 बीघा में तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2019/441 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार प्रार्थी बाबू वल्द चिमना के स्थान पर खीयाराम वल्द चिमनाराम व किरता वल्द चिमना के स्थान पर रामाराम वल्द चिमनाराम नाम राजस्व रिकार्ड शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2019/441 दिनांक 26.02.2019 निर्णय का अभिन्न अंग व अंश रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धोरीमना को आदेशित किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना
जिला- बाड़मेर

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) धोरीमना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना

र्थी के अन्य खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 446 व 477 मौजा गोदारो की बेरी पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना मे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम खींयाराम ही अंकित है। अन्य खसरो मे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम खींयाराम अंकित नही होने से प्रार्थी को वित्तिय संस्थान, बैक आदि से ऋण योजनाओ का लाभ उठाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी विवादित आराजी में बाबु के स्थान पर सही व वास्तविक नाम खींयाराम अंकित करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को डाक रजिस्टर एडी से नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थी संख्या 01 से 13 की बाद तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अरणियाली पेश हुई। तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक/रा.लो.अ./2018/121 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्रम रामपुरा के खसरा नम्बर 108, 109, 110 क्रमशः 0–09, 0–07, 05–05 कुल रकबा 06–01, खसरा नम्बर 113 रकबा 99–10 बीघा व खसरा नम्बर 115 रकबा 34–17 बीघा तथा ग्रम पूरावा के खसरा नम्बर 34 रकबा 47–00 बीघा मे प्रार्थी का नाम खींयाराम वल्द चिमनाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

विप्रार्थी सं. 4 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे बाबू पुत्र चिमना की जगह खींयाराम पुत्र चिमनाराम अंकित किया जाता है तो हम खातेदारान को कोई आपत्ति नही है। राजस्व लोक अदालत केम्प अरणियाली मे तहसीलदार धोरीमना द्वारा मजमे आम फर्द मौका बनाई जाकर पूछताछ करने पर बाबू पुत्र चिमनाराम की जगह सही व वास्तविक नाम खीयाराम पुत्र चिमनाराम शुद्व किये जाने पर सहमति दर्ज करवाई।

वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया तथा विप्रार्थी किरताराम द्वारा निवेदन किया कि मेरे जाईन्दा भाई खीयाराम द्वारा नाम संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी के नाम के साथ–साथ मेरा भी नाम रामाराम पुत्र चिमनाराम की जगह भूल से किरताराम पुत्र चिमनाराम अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्य दस्तावेजो मे मेरा नाम रामाराम दर्ज है। प्रार्थी खीयाराम के साथ–साथ मेरा भी नाम किरताराम पुत्र चिमनाराम की जगह रामाराम पुत्र चिमनाराम राजस्व रेकर्ड मे अंकित किया जावे। प्रार्थी वकील की संशाधित शीर्षक पर बहस सुनी गई। संशोधित शीर्षक स्वीकार किया जाकर रिकार्ड पर लिया गया। तहसीलदार धोरीमना से पुनः मौका रिपोर्ट तलब कि गई। तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक/भू. अ./2019/441 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार धोरीमना से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्रम रामपुरा के खसरा नम्बर 108, 109, 110 रकबा क्रमशः 0–09, 0–07, 5–05 कुल रकबा 06–01 बीघा, खसरा नम्बर 113 रकबा 99–10 बीघा व खसरा नम्बर 115 रकबा 34–17 बीघा तथा ग्रम पूरावा के खसरा नम्बर 34 रकबा 47–00 बीघा में प्रार्थी बाबू वल्द चिमना के स्थान पर खींयाराम वल्द चिमनाराम व किरता वल्द चिमना के स्थान पर रामाराम वल्द चिमनाराम शुद्ध किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश बिश्नोई)

राजस्वआवेदन सं. 441/2015
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खीयाराम पुत्र चिमनाराम 2. रामाराम पुत्र चिमनाराम जातियान जाट निवासी रामपुरा पूरावा हल्का पटवारी अरणियाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर		1. जालाराम पुत्र मोटाराम 2. आदूराम पुत्र गुणेशाराम 3. हुकमाराम पुत्र गुणेशाराम 4. पूनमाराम पुत्र चिमनाराम 5. जेठाराम पुत्र रामचन्दराम 6. जगमाल पुत्र रामचन्द 7. प्रेमीदेवी पत्नि अर्जुनराम 8. जसाराम पुत्र पूनमाराम 9. चूनाराम पुत्र पूनमाराम 10. बाबूलाल पुत्र पूनमाराम 11. भीखाराम पुत्र पूनमाराम 12. मेहरा पुत्र चोला जातियान जाट निवासी रामपुरा पूरावा प0 क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार धोरीमना

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील – श्री काछबाराम खोथ
विप्रार्थी 1 से 12 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 04.06.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना खेत खसरा नम्बर 108, 109, 110, 115, 113 रकबा कमशः 0–09, 0–07, 05–05, 34–17, 99–10 एवं मौजा पूरावा पटवार क्षेत्र अरणियाली तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 47–00 बीघा का आया हुआ हैं। जिसे आगामी पदो में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया।

विवादित आराजी पूर्व में प्रार्थी के वालिद चिमना की संयुक्त खातेदारी की थी, चिमना के फौतगी के विरासत में नामान्तरकरण पूनमा, किरता व बाबु के नाम से खोला गया। फौतगी विरासत में प्रार्थी का नाम भुलवंश लिपिकीय त्रुटि से खीयाराम के स्थान पर बाबु अंकित हो गया। खीयाराम व बाबु अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम खींयाराम है। विवादित आराजी प्रार्थी को उसके पिता चिमना के विरासत से प्राप्त हुई है। चिमना के तीन पुत्र खींयाराम, पूनमाराम व किरताराम है।

प्रार्थी का अन्य सभी जगह सही व वास्तविक नाम खींयाराम ही अंकित है। प्रार्थी का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड तथा

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना

4/6/19 पत्रावली आज पेश हुई।
प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 से 3, 5 से 12
अनुपस्थित। पूर्व से जवाब हेतु कई बार अवसर
बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद
किया जाता है। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा
बहस सुनी गई। निर्णय अलग से जारी होकर
शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना